

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बाइमेर

सफीयत खातू  
बनाम  
अजीज खां वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट न. 129 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

25/9/2019 पत्रावली बांद जांच होकर पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। रेस्पोंडेन्ट के सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 7/11/2019 को पेश हो।

2-11-2019  
1237-38  
25/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

7/11/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट (प्राथमिक) पत्रावली का अवलोकन किया। हेस्तगत अपील SDO (सहायक कलक्टर), बाण के द्वारा अपीलांट (प्राथमिक) द्वारा प्रस्तुत इसके बाद का इन्फॉर्मेशन एवं इन्फॉर्मेशन में खारिज हो जाने के फलस्वरूप इसे पुनः बरामद (Re-store) करने के इसके इन्फॉर्मेशन 09R4 CPC को खारिज करने के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पेश की गई है। अपीलों के संबंध में CPC के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया। वे आदेश, जिनके अपील अनुज्ञापन के द्वारा CPC के आदेश 43 में किया गया है। इन्फॉर्मेशन 09R4 CPC के संबंध में प्रदत्त आदेश अपील पंजीयन नहीं होने से इसकी अपील अनुज्ञापन नहीं है। निहाय अपील विधि से वर्जित होने के कारण खारिज की जाकर अपीलांट को निर्देश है कि वह इस संबंध में विधि में विहित उपचार का अनुपालन करने हेतु खारिज है। अपील अनुज्ञापन नहीं होने से लाटाई जाना है। पत्रावली नंबर संकम होकर पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर